न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर
पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S.

रेफरेन्स संख्या : 580 / 2009

सरकार जरिये तहसीलदार—चाकसू, तहसील—चाकसू, जिला—जयपुर।

बनाम

1. जमीला पत्नी स्व0 अब्दुल रऊफ, जाति—मुसलमान, निवासी—3426, मुनब्बर खान, सिलावटो का मौहल्ला, चौकडी रामचन्द्रजी, सुभाष चौक, जयपुर
2. अब्दुल रहीम पुत्र श्री अब्दुल रऊफ, जाति—मुसलमान, निवासी—चंदलाई, तहसील—चाकसू, जिला—जयपुर (मृतक)।
   2/1 रजिया बानो पत्नी स्व0 श्री अब्दुल रहीम, जाति—मुसलमान, निवासी—चंदलाई, तहसील—चाकसू, जिला—जयपुर।
3. अब्दुल अजीज पुत्र श्री अब्दुल रऊफ, जाति—मुसलमान, निवासी—3426, मुनब्बर खान, सिलावटो का मौहल्ला, चौकडी रामचन्द्रजी, सुभाष चौक, जयपुर।
4. अब्दुल कदीर पुत्र श्री अब्दुल रऊफ, जाति—मुसलमान, निवासी—चंदलाई, तहसील—चाकसू, जिला—जयपुर।
5. अब्दुल रसीद पुत्र श्री अब्दुल रऊफ, जाति—मुसलमान, निवासी—3426, मुनब्बर खान, सिलावटो का मौहल्ला, चौकडी रामचन्द्रजी, सुभाष चौक, जयपुर।
6. मुनवर खां पुत्र श्री अनवर खां, जाति—मुसलमान, निवासी—चंदलाई, तहसील —चाकसू, जिला—जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—
राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः—

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री रामधन चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 29.11.2018**

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004—2023 में ग्राम चंदलाई की आ0ख0नं0 633 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 634 रकबा 03 बीघा, आ0ख0नं0 649 रकबा 01 बीघा, आ0ख0नं0 650 रकबा 13 बिस्वा, आ0ख0नं0 651 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, आ0ख0नं0 652 रकबा 11 बिस्वा, आ0ख0नं0 655 रकबा 12 बिस्वा, आ0ख0नं0 663 रकबा 13 बिस्वा, आ0ख0नं0 664 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 665 रकबा 07 बिस्वा, आ0ख0नं0 666

रकबा 07 बिस्वा, आ0ख0नं0 668 रकबा 14 बिस्वा, आ0ख0नं0 669 रकबा 13 बिस्वा, आ0ख0नं0 670 रकबा 18 बिस्वा, आ0ख0नं0 673 रकबा 01 बीघा, आ0ख0नं0 674 रकबा 11 बिस्वा, आ0ख0नं0 आ0ख0नं0 675 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 677 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आ0ख0नं0 671 रकबा 02 बिस्वा, आ0ख0नं0 672 रकबा 09 बिस्वा, आ0ख0नं0 668 रकबा 03 बीघा, आ0ख0नं0 688 रकबा 13 बिस्वा, आ0ख0नं0 689 रकबा 19 बिस्वा, आ0ख0नं0 698 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, आ0ख0नं0 700 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, आ0ख0नं0 679 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, आ0ख0नं0 680 रकबा 18 बिस्वा, आ0ख0नं0 681 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 682 रकबा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 683 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 684 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, आ0ख0नं0 685 रकबा 10 बिस्वा सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है, जिसके बन्दोबस्त सम्वत् 2051–2070 में आ0ख0नं0 1273, आ0ख0नं0 1274, आ0ख0नं0 1282, आ0ख0नं0 1283, आ0ख0नं0 1312, आ0ख0नं0 1315, आ0ख0नं0 1316, आ0ख0नं0 1317, आ0ख0नं0 1318, आ0ख0नं0 1323, आ0ख0नं0 1324/6394, आ0ख0नं0 1325, आ0ख0नं0 1330, आ0ख0नं0 1332, आ0ख0नं0 1333, आ0ख0नं0 1334, आ0ख0नं0 1337, आ0ख0नं0 1338, आ0ख0नं0 1340, आ0ख0नं0 1341, आ0ख0नं0 1348, आ0ख0नं0 1354, आ0ख0नं0 1355, आ0ख0नं0 1356, आ0ख0नं0 1357, आ0ख0नं0 1365, आ0ख0नं0 1366, आ0ख0नं0 1367, आ0ख0नं0 1368, आ0ख0नं0 1369/6395, आ0ख0नं0 1370, आ0ख0नं0 1372, आ0ख0नं0 1373 होकर जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 जमीला पत्नी स्व0 अब्दुल रऊफ अब्दुल रहीम अब्दुल अजीज अब्दुल कदीर अब्दुल रसीद पि0 अब्दु रऊफ हि0 1/2 मुनवर खां पि0 अनवर खां हि0 1/2 मुसलमान साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक पेटाबन्ध आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

उक्त आशय का रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गऐ ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चंदलाई की रेफरेन्स अधीन आराजी सिवायचक

केवल राजकीय न्यायालय के उपयोग हेतु निःशुल्क सत्य प्रतिलिपि

पेटाबन्ध दर्ज है, जिसके हाल ख0नं0 कुल किता 33 रकबा 7.64 हे0 अप्रार्थी जमीला पत्नी स्व0 अब्दुल रऊफ अब्दुल रहीम अब्दुल अजीज अब्दुल कदीर अब्दुल रसीद पि0 अब्दुल रऊफ हि0 1/2 मुनवर खां पि0 अनवर खां हि0 1/2 मुसलमान साकिन देह की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 अनुसार दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय, पेटाबन्ध की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी पेटाबन्ध की नियमों के विपरीत खातेदारी दर्ज की गई है। विवादग्रस्त आाराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत पेटाबन्ध की खातेदारी दी गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन/खातेदारी के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शुन्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री रामधन चौधरी का कथन हैं कि रेफरेन्स अधीन आराजी का रेफरेंस गलत तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के पूर्वज अनवर खां वल्द कजोड खां को पर्चा चकबन्दी सम्वत् 1999–2002 में 25 बीघा 03 बिस्वा का जो मिला है उसमें भूमि तालाबी दर्ज है और काबिल–काश्त होने के कारण ही पर्चा मिला है। अनवर खां उर्फ अन्ते खां पुत्र कजोड खां को विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी मुताबिक आदेश दिनांक 30.01.1968 जरिये मिसल

14.08.1968 स्वीकार किया गया है। खातेदारी दिये जाने की आज्ञा व नामान्तरकरण के विरूद्ध कभी राज्य सरकार ने अपील नही की है। वादग्रस्त आराजी न तो कभी तालाबी पेटे की रही है ना ही किसी नदी के बहाव क्षेत्र की भूमि रही है। आराजी खसरा नम्बर 1315 लगायत 1318, 1323, 1325, 1330 लगायत 1334, 1337, 1338, 1340, 1324/6394, 1341 की भूमि तालाबी नही है बल्कि चाही दर्ज है, जो कुऍ कोठी से सिचित भूमि है तथा जिसका पुराना नाम मसीतवाली कोठी है। शेष आराजी वर्तमान में तालाबी दर्ज है वह भी तालाब में नहीं थी और काबिले काश्त रही है, काबिले काश्त रहने के कारण ही इनकी खातेदारी सही रूप से मिली है। अब्दुल रहमान प्रकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निराधार है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में निर्णय दिया था कि राज्य सरकार नदी बहाव क्षेत्र व तालाबी पेटे की भूमियो के लिए कमेटी बनायेगी और उसकी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जायेगी परन्तु ऐसी कोई जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई और सीधे ही रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सर्वथा गलत है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 40 वर्ष के लंबे अन्तराल के पश्चात् बिना कोई विधिक कारण प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम चंदलाई की आ0ख0नं0 633 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 634 रकबा 03 बीघा, आ0ख0नं0 649 रकबा 01 बीधा, आ0ख0नं0 650 रकबा 13 बिस्वा, आ0ख0नं0 651 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, आ0ख0नं0 652 रकबा 11 बिस्वा, आ0ख0नं0 655 रकबा 12 बिस्वा, आ0ख0नं0 663 रकबा 13 बिस्वा, आ0ख0नं0 664 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 665 रकबा 07 बिस्वा, आ0ख0नं0 666 रकबा 07 बिस्वा, आ0ख0नं0 668 रकबा 14 बिस्वा, आ0ख0नं0 669 रकबा 13 बिस्वा, आ0ख0नं0 670 रकबा 18 बिस्वा, आ0ख0नं0 673 रकबा 01 बीघा, आ0ख0नं0 674 रकबा 11 बिस्वा, आ0ख0नं0 आ0ख0नं0 675 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 677 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आ0ख0नं0 671 रकबा 02 बिस्वा, आ0ख0नं0 672 रकबा 09 बिस्वा, आ0ख0नं0 668 रकबा 03 बीघा, आ0ख0नं0 688 रकबा 13 बिस्वा, आ0ख0नं0 689 रकबा 19 बिस्वा, आ0ख0नं0 698 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, आ0ख0नं0 700 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, आ0ख0नं0 679 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, आ0ख0नं0 680 रकबा 18 बिस्वा, आ0ख0नं0 681 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 682 रकबा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 683 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 684 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, आ0ख0नं0 685 रकबा 10 बिस्वा सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज है, जिसके बन्दोबस्त सम्वत्

2051–2064 में आ0ख0नं0 1273, आ0ख0नं0 1274, आ0ख0नं0 1282, आ0ख0नं0 1283, आ0ख0नं0 1312, आ0ख0नं0 1315, आ0ख0नं0 1316, आ0ख0नं0 1317, आ0ख0नं0 1318, आ0ख0नं0 1323, आ0ख0नं0 1324/6394, आ0ख0नं0 1325, आ0ख0नं0 1330, आ0ख0नं0 1332, आ0ख0नं0 1333, आ0ख0नं0 1334, आ0ख0नं0 1337, आ0ख0नं0 1338, आ0ख0नं0 1340, आ0ख0नं0 1341, आ0ख0नं0 1348, आ0ख0नं0 1354, आ0ख0नं0 1355, आ0ख0नं0 1356, आ0ख0नं0 1357, आ0ख0नं0 1365, आ0ख0नं0 1366, आ0ख0नं0 1367, आ0ख0नं0 1368, आ0ख0नं0 1369/6395, आ0ख0नं0 1370, आ0ख0नं0 1372, आ0ख0नं0 1373 होकर जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 जमीला पत्नी स्व0 अब्दुल रऊफ अब्दुल रहीम अब्दुल अजीज अब्दुल कदीर अब्दुल रसीद पि0 अब्दुल रऊफ हि0 1/2 मुनवर खां पि0 अनवर खां हि0 1/2 मुसलमान साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक पेटाबन्ध आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन/खातेदारी दिनांक को राजस्व अभिलेख में सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004–2023 से होती है और इस आराजी के खातेदारी के फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी जमीला पत्नी स्व0 अब्दुल रऊफ अब्दुल रहीम अब्दुल अजीज अब्दुल कदीर अब्दुल रसीद पि0 अब्दुल रऊफ हि0 1/2 मुनवर खां पि0 अनवर खां हि0 1/2 मुसलमान साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी 2061–2064 से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक सिवायचक पेटाबन्ध की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत सिवायचक पेटाबन्ध भूमि की खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार सिवायचक पेटाबन्ध भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके

बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खातेदारी को निरस्त करने एवं अप्रार्थीगण के नाम निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारों को दिनांक 28.01.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.11.2018 को सुनाया गया।

29/11/18

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर